(52)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जमवारामगढ़, जिला जयपुर,राजस्थान

पीठासीन अधिकारी : श्री ललित मीना RAS

मिसल नं.	तारीख दायर	तारीख फैसला
102 / 2024	25 / 07 / 2024	04 / 11 / 2025

1. बाबूलाल पुत्र कजोडमल जाति नाई निवासी ग्राम नांगल बेला तहसील आंधी जिला जयपुर।

वादी

बनाम

1. राजेन्द्र पुत्र रामेश्वर
2. प्रेम देवी पत्नि रामेश्वर
3. सत्यनारायण पुत्र रामसहाय
   जाति नाई निवासीयान ग्राम नांगलबेला तहसील आंधी जिला जयपुर।
4. लाली देवी पत्नी धर्मेन्द जाति मीना निवासी नांगलबेला तहसील आंधी जिला जयपुर।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील आंधी, जिला जयपुर।
6. उप पंजीयक, आंधी जिला जयपुर।

प्रतिवादीगण

उपस्थित अभिभावक
श्री किशनलाल :— वकील वादी।
श्री दीपचन्द महावर :— वकील प्रतिवादी सं0 4

दावा बाबत बटंवारा, स्थाई निषेधाज्ञा

अन्तर्गत धारा—53, 188 आर0टी0एक्ट

—: निर्णय :—

वादी की ओर से एड0 श्री किशनलाल ने यह वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण इस कथन के साथ पेश किया कि वादग्रस्त भूमि खाता सं0 135 के खसरा नम्बर 51 रकबा 0.5437है0 वाके ग्राम नांगलबेला, पटवार हल्का लालवास, तहसील आंधी, जिला जयपुर में वादी एवं प्रतिवादीगण के राजस्व रिकार्ड में दर्ज हक, हिस्से, कब्जे एवं रास्ते को मध्य नजर रखते हुए मुताबिक बाई मीटस एण्ड बाउण्डस अर्थात सरस—नरस के आधार पर तकासमा कर वादी का राजस्व रिकार्ड व लगान अलग अलग कायम किया जावें। प्रकरण में विधिवत सुनवाई करते हुए दिनांक 07.04.2025 को प्राथमिक डिकी किया गया। जिसकी पालना में तहसीलदार आंधी ने कुर्रेजात रिपोर्ट तैयार कर पेश की। प्राप्त कुर्रेज़ात रिपोर्ट पर बहस वकील प्रतिवादी सं0 4 ने आपत्ति जाहिर की तथा वकील प्रतिवादी की आपत्ति सुना जाकर वकील उपय पक्षों की बहस सुनी गई। वकील वादी ने कुर्रेजात स्वीकार करने में सहमति जाहिर की। अतः पत्रावली वकील प्रतिवादी सं0 4 की आपत्ति खारिज की जाकर निर्णय किया गया।

पत्रावली का अद्योपान अवलोकन किया गया। भूमिधारी तहसीलदार आंधी के द्वारा प्रस्तुत बटवारा प्रस्ताव का अवलोकन किया गया। भूमिधारी तहसीलदार आंधी ने बटवारा हिस्से अनुसार किया। अतः वादी का वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम को अन्तिम रूप से स्वीकार किया जाकर ग्राम नांगलबेला, पटवार हल्का लालवास, तहसील आंधी, जिला जयपुर में स्थित निम्नांकित आराजियात का तकासमा किया जाकर वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य मुताबिक बटवारा रिपोर्ट के निम्नानुसार विभाजन किया जाता है। उसी मुताबिक इन्हे खातेदार तन्हा घोषित किया जाता है।

—: वर्तमान जमाबन्दी अनुसार :—

खाता संख्या	वर्तमान जमाबन्दी अनुसार	आराजी नम्बर	रकबा है0	किस्म	लगान
135	प्रेमदेवी पत्नि रामेश्वर हि0 1/8 जाति नाई सा0देह खातेदार, बाबूलाल पुत्र कजोडमल हि0 3/8 जाति	51	0.5437	चाही	19.15

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ़ जिला जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

(52)

	नाई सा0देह खातेदार, राजेन्द्र पुत्र रामेश्वर हि01/8 जाति नाई सा0देह खातेदार, लाली देवी पत्नि धर्मेन्द्र हि0 1/8 जाति मीना सा0देह खातेदार, सत्यनारायण पुत्र रामसहाय हि0 1/4 जाति नाई सा0देह खातेदार।				
	योग	किता 1	0.5437	–	19.15

—: प्रस्तावित :—

क्रम संख्या	प्रस्तावित	आराजी नम्बर	है0	किस्म	लगान
1	बाबूलाल पुत्र कजोडमल हि0 पूर्ण जाति नाई सा0देह खातेदार।	51/1	0.2039	चाही 1	–
	योग	किता 1	0.2039	–	–
2	लाली देवी पत्नी धर्मेन्द्र जाति मीना सा0देह खातेदार	51/2	0.0680	चाही 1	–
	योग	किता 1	0.0680	–	–
3	प्रेम देवी पत्नी रामेश्वर हि0 1/4, राजेन्द्र पुत्र रामेश्वर हि0 1/4, सत्यनारायण पुत्र रामसहाय हि0 1/2 जाति समस्त नाई सा0देह खातेदार।	51/3	0.2718	चाही 1	–
	योग	किता 1	0.2718	–	–

उपरोक्त विभाजन अनुसार वर्तमान राजस्व रिकार्ड में अलग–अलग खाते दर्ज अंकित की जावे, साथ ही वादी एवं प्रतिवादीगण को हुक्म इक्तिनाइ दवामी से पाबन्द किया जाता है कि वादी एवं प्रातिवादीगण के हिस्से मे आई आराजीयात में किसी प्रकार से कब्जे में दखल अंदाजी नहीं करें। नक्शा ट्रेस प्रमाणित किया गया। अन्तिम पर्चा डिक्री जारी है।

निर्णय आज दिनांक 04/11/2025 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ
जमवारामगढ जिला जयपुर

डिक्री मुकदमा इबताई

(रूल्स 18–21)

अज अदालत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ जिला जयपुर

बाबूलाल बनाम राजेन्द्र वगै0

वाद अन्तर्गत धारा–53, 188 बटंवारा एवं स्थाई निषेधाज्ञा रा0टी0एक्ट

मुकदमा नम्बर – 102/2024

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलाल कतई रूबरू श्री ललित मीना बहाजिरी श्री किशनलाल अधिवकता वादी व श्री दीपचन्द महावर अधिवक्ता प्रतिवादी सं0 4 पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वादी का वाद अन्तिम रूप से स्वीकार किया जाता है कि ग्राम नांगलबेला, पटवार हल्का लालवास, तहसील आंधी, जिला जयपुर में स्थित निम्नांकित आराजियात खसरा का तकासमा किया जाकर वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य मुताबिक बटवारा रिपोर्ट के निम्नानुसार विभाजन किया जाता है। उसी मुताबिक इन्हे खातेदार तन्हा घोषित किया जाता है।

–: वर्तमान जमाबन्दी अनुसार :–

खाता संख्या	वर्तमान जमाबन्दी अनुसार	आराजी नम्बर	रकबा है0	किस्म	लगान
135	प्रेमदेवी पत्नि रामेश्वर हि0 1/8 जाति नाई सा0देह खातेदार, बाबूलाल पुत्र कजोडमल हि0 3/8 जाति नाई सा0देह खातेदार, राजेन्द्र पुत्र रामेश्वर हि01/8 जाति नाई सा0देह खातेदार, लाली देवी पत्नि धर्मेन्द्र हि0 1/8 जाति मीना सा0देह खातदार, सत्यनारायण पुत्र रामसहाय हि0 1/4 जाति नाई सा0देह खातेदार।	51	0.5437	चाही	19.15
	योग	किता 1	0.5437	–	19.15

–: प्रस्तावित :–

कम संख्या	प्रस्तावित	आराजी नम्बर	है0	किस्म	लगान
1	बाबूलाल पुत्र कजोडमल हि0 पूर्ण जाति नाई सा0देह खातेदार।	51/1	0.2039	चाही 1	–
	योग	किता 1	0.2039	–	–
2	लाली देवी पत्नी धर्मेन्द्र जाति मीना सा0देह खातेदार	51/2	0.0680	चाही 1	–
	योग	किता 1	0.0680	–	–
	प्रेम देवी पत्नी रामेश्वर हि0 1/4, राजेन्द्र पुत्र रामेश्वर हि0 1/4, सत्यनारायण पुत्र रामसहाय हि0 1/2 जाति समस्त नाई सा0देह खातेदार।	51/3	0.2718	चाही 1	–
	योग	किता 1	0'2718	–	–

उपरोक्त विभाजन अनुसार वर्तमान रेवन्यू रिकार्ड में अलग–अलग खाते दर्ज अंकित की जावे, साथ ही वादी एवं प्रतिवादीगण को हुक्म इक्तिनाइ दवामी से पाबन्द किया जाता है कि वादी एवं प्रातिवादीगण के हिस्से मे आई आराजीयात में किसी प्रकार से कब्जे में दखल अंदाजी नहीं करें। नक्शा ट्रेस प्रमाणित किया गया।

मेरे दस्तखत एवं मोहर से पर्चा डिकी आज दिनांक 04/11/2025 को जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ़ जिला जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

मिलान स्टाप अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
मुदई	रुपये	पैसे	मुदालयह	रुपये	पैसे
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वजूह सबुत			स्टाम्प वजूह सबुत		
महन्तानावकील			म्हन्तानावकील		
खर्चा गवाहान			खर्चा गवाहान		
बबत्हजराय हुक्मनामा			बबत्हजराय हुक्मनामा		
मुत0			मुत0		
मिलान			थ्मलान		

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ जिला जयपुर

डिक्री मुकदमा इबलाई (रूल्स 18–21)
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ जिला जयपुर राज0
बइजलास श्री ललित मीना, आर0ए0एस0

मुकदमा नं0:– 102 / 2024 दायर दिनांक 25.07.2024

बाबूलाल बनाम राजेन्द्र वगै0

(अन्तर्गत धारा 53, 188 राज0 काश्तकारी अधिनियम)

प्राथमिक डिक्री आदेश दिनांक 07.04.2025

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलाल कतई रूबरू बहाजिरी श्री ललित मीना आर.ए.एस. व हाजिर श्री किशनलाल वकील वादीगण व श्री दीपचन्द महावर वकील प्रतिवादी सं0 4 निजातिब मुदालय रूबरू बहाजीरी पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वादीगण का वाद प्राथमिक डिक्री किया जाकर तहसीलदार आंधी को आदेशित किया जाता है कि ग्राम नांगलबेला, पटवार हल्का लालवास, तहसील आंधी, जिला जयपुर में स्थित भूमि खाता सं0 135 के खसरा नम्बर 51 रकबा 0.5437है0 के संबंध में उभय पक्षों के राजस्व रिकार्ड में अंकित हक व हिस्से एवं कब्जा तथा रास्ते को मध्य नजर रखते हुए मुताबिक बाई मीट्स एण्ड बाउण्डस अर्थात सरस–नरस के आधार पर विधिक रूप से तकासमा हेतु निर्णय किया जाता है तथा वाद को प्राथमिक डिक्री किया जाता है। वादीगण एवं प्रतिवादीगणों के मध्य दोनों पक्षों को सूचित करते हुये उनकी मौजूदगी में अलग–अलग रंग भरकर कुर्रेजात के प्रस्ताव तीन–तीन प्रतियों में तैयार कर पेश करें। पक्षकारान खर्चा अपना–अपना वहन करेगें।

डिक्री आज दिनांक 07 / 04 / 2025 को कार्यालय की मोहर से जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ, जयपुर

मिलान स्टाप अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
मुदई	रूपये	पैसे	मुदई	रूपये	पैसे
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वजूह सबूत			स्टाम्प वजूह सबूत		
महन्ताना वकील			महन्ताना वकील		
खर्चा गवहान			खर्चा गवहान		
बबतहजराय हुक्मनामा			बबतहजराय हुक्मनामा		
मुत			मुत		
मिलान			मिलान		

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ, जयपुर

Scanned with OKEN Scanner